कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांकः प्र0अ0/मु0अ0(सू0प्र0सं0)/क0के0/जी0आई0जी0डब्लू0/ दिनांक 19 जुलाई 2017

कार्यालय–ज्ञाप

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के ज्ञाप संख्या–755/प्र0अ0/मु0अ0(सू0प्र0सं0)/क0के0/जी0आई0जी0डब्लू/ दिनांक 09.09.2015 के द्वारा विभागीय बेवसाइट पर कन्टेन्ट उपलब्ध कराये जाने/अपडेट किये जाने के दृष्टिगत क्षेत्रीय संगठन स्तर पर क्षेत्रीय नोडल अधिकारी को नामित किया जा चुका है। विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग–8, उत्तर प्रदेश शासन के ज्ञाप सख्या–2037/17–27–सिं– 8–53 विविध/2007/दिनांक 21जून 2017 द्वारा विभागीय बेवसाइट को अधिकाधिक जनपयोगी एवं प्रभावी बनाये जाने तथा नियमित रूप से अद्यावधिक कराते हुए अनुश्रवण किये जाने के दृष्टिगत समस्त नामित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं/नोडल अधिकारियों को एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि,

क्षेत्रीय संगठन स्तर से वेबसाइट पर सूचनाओं को कम से कम माह में दो बार, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष महोदय की मासिक समीक्षा बैठक हेतु निर्धारित तिथि के पूर्व, निम्नानुसार अद्यतन कराना अनिवार्य होगाः–

1– **प्रथम अद्यतन (First Update)** दिनांक 05 से दिनांक 10 के मध्य हो जाना चाहिए। अतः यदि मासिक समीक्षा बैठक की तिथि आलोच्य माह के दिनांक 07 से 21 के मध्य निर्धारित होती है तो सूचनायें गत माह की अन्तिम तिथि 28 अथवा 29/30/31 (द्वितीय पक्ष), जैसी भी स्थिति हो, होना चाहिए।

2– **द्वितीय अद्यतन (Second Update)** दिनांक 20 से दिनांक 25 के मध्य हो जाना चाहिए। अतः यदि मासिक समीक्षा बैठक की तिथि आलोच्य माह के दिनांक 22 से अगामी माह के दिनांक 06 के मध्य निर्धारित होती है तो सूचनायें आलोच्य माह के दिनांक 15 (प्रथम पक्ष) तक की अद्यतन होना चाहिए।

बेवसाइट पर प्रत्येक संगठन द्वारा सम्बन्धित स्टेटिक पेजों को अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र (E-Mail Id: secompiduplu-up@nic.in) के माध्यम से एवं समस्त डॉयनमिक पेजों को, जिसका लॉगिन आई0डी0 एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जा चुका है, से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं को स्वयं नियमित रूप से अद्यतन कराते हुए अपलोड कराना तथा अधोहस्ताक्षरी की मासिक समीक्षा बैठक से पूर्व इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे कि, **"विभागीय वेबसाइट (idup.gov.in) पर संगठन से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं का उपरोक्तानुसार प्रथम अद्यतन/द्वितीय अद्यतन करा दिया गया है।**

ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

ह0/-
प्रदीप कुमार सिंह
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

पत्रांकः 563 प्र0अ0/मु0अ0(सू0प्र0सं0)/क0के0/जी0आई0जी0डब्लू0/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग–8, उत्तर प्रदेश, शासन, लखनऊ।

2– श्री मुश्ताक अहमद, संयुक्त सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को शासन के ज्ञाप सख्या–2037/ 17–27–सिं–8–53विविध/2007/दिनांक 21जून 2017 के कम में।

3– प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन)/प्रमुख अभियन्ता (परियोजना)/प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4– समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–1, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश

5– मुख्य अभियन्ता (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन) को इस आशय से प्रेषित है कि वे प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में होने वाली मासिक समीक्षा बैठक के एजेण्डा में **"विभागीय बेवसाइट को अधिकाधिक जनपयोगी एवं प्रभावी बनाये जाने तथा नियमित रूप से अद्यावधिक किये जाने की स्थिति"** के बिन्दु को **शीर्ष प्राथमिकता पर** मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाएँ/सन्दर्भ के पश्चात् ही सम्मिलित कराना सुनिश्चित करें।

6– समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–2/समस्त नोडल अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश को इस आशय से कि वे उपरोक्त प्रमाण पत्र अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र को उनके E-Mail Id: secompiduplu-up@nic.in पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

7– अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि वे उपरोक्तानुसार क्षेत्रीय संगठनों से प्रेषित प्रमाण पत्रों के प्राप्त/अप्राप्त होने की स्थिति, मासिक समीक्षा बैठक से पूर्व, मुख्य अभियन्ता (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

19/7/17
(सुरेश चन्द्र शर्मा)
मुख्य अभियन्ता (सूचना प्रणाली संगठन)

Scanned by CamScanner